



9

## पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये :-

क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मेसर्स एम.पी. वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट्स (रामली इन्वायरो इन्जीनियर्स) पीथमपुर, जिला-धार	08/10/09	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के तहत	खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) नियम, 1989 के तहत प्रदत्त प्रावधानों का उल्लंघन, भण्डारित व इसीनरेबल वेस्ट स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में।
2	मेसर्स साईबाबा इण्डस्ट्रीज वेलदार का पुरा, ग्वालियर	12663/09 23/10/09	जल अधिनियम 1974 की धारा 44	बिना सम्मति के संचालन
3	मेसर्स मूलचंद माधोदास हारकोटासीर, ग्वालियर	12661/09 23/10/09	जल अधिनियम 1974 की धारा 44	बिना सम्मति के संचालन
4	मेसर्स धवन कुमार बूडामल हारकोटासीर, ग्वालियर	12662/09 23/10/09	जल अधिनियम 1974 की धारा 44	बिना सम्मति के संचालन
5	मेसर्स सतपुडा ताप विद्युत गृह, म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी, सारणी	23/12/09	जल अधिनियम की धारा-43-44/47 एवं वायु अधिनियम की धारा-37/39 सहपठित धारा-40, 44	जल एवं वायु अधिनियमों के उल्लंघन के कारण
6	मेसर्स एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन (केलकुर्डी खटम्बा रीक फास्केट माईन्स) मेधनगर, जिला झाबुआ	08/01/10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 के तहत	बगैर पर्यावरण स्वीकृति व जल/वायु सम्मति के खदान संचालित करने के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप।



7	मेसर्स गगन सिवाल लाइम स्टोन एंड डोलोमाईट मार्डन मुडवारा, जिला कटनी	27/01/10	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-15, 19 एवं 21 के अन्तर्गत	ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 का उत्सर्जन
8	मेसर्स महाकौशल शुगर एंड पीपर इंडस्ट्रीज लि. बवाई, भरसिंहपुर	04/02/10	वायु अधिनियम की धारा 31ए 37(1) एवं 40 तथा जल अधिनियम की धारा 33ए 41(2) एवं 47 के अन्तर्गत	बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण
9	मेसर्स भेगनीज और इंडिया लि. भरवेली, बालाघाट	25/2/10	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, 19 एवं 21 अन्तर्गत	ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 का उत्सर्जन